सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 15 / 19 **निर्णय दिनांकः 28.08.2019**

1. सुखीदेवी बेवा किसनाराम जाति बावरी निवासी चक 1 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

2.	रामकुमार	पुत्र / पुत्रियॉ स्व. किसनाराम जाति बावरी निवासी चक 1 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3.	श्रीराम	
4.	लक्ष्मी	

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. जसपाल कौर पत्नी गुरचरण सिंह जटसिख निवासी चक 1 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला
दिनांक 28–08–2018

उपस्थितः–

1. श्री गिरधारी रामावत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी खाजुवला के आदेश दिनांक 28–08–2018 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया अपीलांट को चक 1 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 59/46 के किला नम्बर 23, 24 व 25 में 03 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 4 ता 7, 13, 17, 18, 14, 15 व 16 में 09 बीघा अनकमाण्ड जिसमें से किला नम्बर 14, 15, 16 व 25 की 4 बीघा भूमि अपीलांट् के पति/पिता के समय से पुख्ता आवंटित है। इसी चक 1 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 59/46के किला नम्बर 2, 8, 9, 12, 19, 22 की 6 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण की भूमि है व इसी मुरब्बें के चिपते मुरब्बा नम्बर 59/47 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में रास्ता स्वीकृत है तथा मौके पर पक्की सड़क बनी हुई है। उक्त रास्ते से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आवागमन करती आ रही है। ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध था तो नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में पूर्व में रास्ता व सिंचाई की तमाम सुविधा उपलब्ध होते हुए भी बदनियति व स्वार्थपूर्वक अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 'ए' आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के नियम 69 का अवलोकन व पालना किये बिना ही रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में धारा 251 'ए' के तहत

राजस्व अ... अधिकारी
बीकानेर

वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2019 पार्ट I पेज 403, आरआरटी 2001 पार्ट II पेज 982, आरआरटी 2018 पार्ट II पेज 1193 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान जनरल कालोनी कण्डीशन्स 1955 की शर्त 8 (2) सहपठित धारा 251 ए आरटीए एवं

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सुखाधिकार अधिनियम एवं 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि चक 1 पीडब्ल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 59/46 के किला नम्बर 2, 8, 9, 12, 19, 22 की कुल 6 बीघा भूमि है। जिस पर प्रार्थीनी व उसका पूरा परिवार लम्बे अर्से से काबिज काश्त है तथा मौके पर मकान करनाकर मय पशुधन रहवास कर रही है। इसी मुरब्बा के किला नम्बर 23, 24, 25 में से वर्षो से मौके पर रास्ता चला आ रहा है जो आगे जाकर मूल सड़क से मिलता है इसके अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौके पर उक्त रास्ता लगभग 2—2 बिस्वा भूमि पर कायम है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीर्नी लम्बे अरसे से करती आ रही है। अपीलांट अक्सर राजनीतिवश रास्ते को लेकर झगड़ा फसाद करते है क्योंकि रास्ता मंजूरशुदा नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त रास्ते को बंद करने की धमकी दिये जाने व रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो आवागमन में असुविधा होगी तथा उसके हितों पर कुठाराधात होगा।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट व स्टेट के जवाब में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि प्रार्थीनी के नाम चक 1 पीडब्ल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 59/46 के किला नम्बर 2, 8, 9, 12, 19, 22 की कुल 6 बीघा भूमि निहित है जिसमें आपसी सहमति से कच्चा रास्ता चल रहा था अब वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 59/46 में आने — जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजात्, नजरी नक्शा के अवलोकन के आधार पर मुरब्बा नम्बर 59/46 के किला नम्बर 23 ता 25 में प्रत्येक में 2—2 बिस्वा रास्ते की मंजूरी प्रदान की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। अपीलांट/प्रार्थी अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अभिभाषक रेस्पेडेन्ट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पूर्व में ही जानकारी प्राप्त थी। इस संबंध में पक्षकारों के मध्य पुलिस कार्यवाही भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन की उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे संतोषजनक कारण नहीं है। अतः अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियांद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा यह अपील निर्धारित अवधि के बाद चार माह 20 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। अपीलांट का कथन है कि उसे सर्वप्रथम आदेश की जानकारी तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस के द्वारा दिनांक 13–03–2019 को प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि रास्ते का मामला उनके बीच अपीलाधीन निर्णय होने से पहले से ही विचारणीय रहा है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट सुखीदेवी द्वारा दिनांक 17–07–2017 को निष्पादित शपथपत्र की छाया प्रति शामिल है जिसके अनुसार उसकी खातेदारी भूमि के किला नम्बर 23, 24 व 25 में से 12 फीट चौड़ा रास्ता देने पर सहमती दी गई है। इसके बदले जसपाल कौर द्वारा अपीलांट सुखीदेवी को उसकी भूमि में से पानी लगाने की सुविधा दी जानी थी। इसी लिखावट के आधार पर किला नम्बर 23, 24 व 25 में से रास्ता निकालने हेतु दरखवाश्त पेश हुई तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व शिविर में मजमेंआम के समक्ष मौका निरीक्षण करवाकर रास्ता स्वीकृत किया गया है। इसके उपरान्त अपीलांट का कथन कि उसे निर्णय की जानकारी पहली बार दिनांक 13–03–2019 को मिली, विश्वसनीय नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियांद दरखवाश्त में चार माह से अधिक के विलम्ब का दिन—प्रतिदिन का संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है।

अपीलाधीन निर्णय में टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए तथा राजस्व (सरकारी) नियम 69 तथा 80 में निर्धारित प्रकिया का पालना करते हुए निर्धारित प्रकिया की पालना करते हुए रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता के मद्देनजर रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का भी निर्णय के अनुसरण में अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य पूर्व से ही आपसी सहमति से मौके पर रास्ता चाल था ऐसी स्थिति में उक्त नजीरें प्रस्तुत मामलें पर चस्पा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में केवल तकनीकी आधार पर काश्तकार को देय अनुतोष से इंकार करना विधि सम्मत नहीं था। लिहाजा हम परीक्षण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रूटि नहीं पाते है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील मियांद बाहर व सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 28—08—2018 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
([illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर